झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
पंचम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 08.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री सरयू राय स0वि0स0	पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में शराब के प्राय सभी सरकारी दुकाने अवैध भूमि पर स्थित है, जो झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बन्दोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018 के विरूद्ध है। जमशेदपुर के अंचल अधिकारी जमशेदपुर पूर्वी के 38 (अड़तीस) दुकानों की जाँच की है और प्रतिवेदित किया है कि "जाँच के क्रम में अनुज्ञप्तिधारक द्वार कोई भी सक्षम कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि भूमि पर दुकान चलाने का वैध अधिकार अनुज्ञप्तिधारक को नहीं है।" विभागीय सचिव ने दिनांक- 16.09.2020 को उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को निर्देश दिया है कि इस संबंध में अपने स्तर से नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इस संबंध में विशेष रूप से सर्तकता बढ़ती जाय कि अतिक्रमित भूमि पर कोई भी खुदरा उत्पाद दुकाने संचालित न हो। परन्तु सभी दुकाने पूर्ववत चल रही है।	उत्पाद एवं मद्य निषेध

01.	02.	03.	04.
		उपर्युक्त विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जमशेदपुर की सभी अवैध शराब दुकानों का संचालन बंद कराने की मांग करता हूँ और इस बारे में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।	
02-	श्री सुदेश कुमार महतो स0वि0स0	अलग झारखण्ड राज्य की लड़ाई लड़ने वाले हजारो की तादाद में लोगों को झारखण्ड आन्दोलनकारी के तौर पर चिन्हित किया गया है, परन्तु चिन्हित आन्दोलनकारियों को दी जा रही पेंशन और सुविधाएँ पर्याप्त नही है। शहीद आन्दोलनकारियों के आश्रितों को नौकरी देने के मामले में भी हालिया फैसले सम्मानजनक नहीं है, साथ ही आन्दोलनकारियों के परिजनों के शिक्षा चिकित्सा को लेकर भी कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि आन्दोलन से प्रत्यक्ष- परोक्ष रूप से जुड़े हजारों लोग लगातार मान सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अतः झारखण्ड आन्दोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिए जाने और सेनानियों को मिलने वाली सुविधाएँ मुहैया कराने एवं सम्मानजनक पेंशन की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
03-	श्रीमती ममता देवी स0वि0स0	राज्य गठन के 21 वर्ष होने को है, परन्तु आज तक क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में पढ़ाई प्रारंभ नहीं हो सकी है। इन भाषाओं के शिक्षकों की बहाली भी आज तक नहीं ली गई है। तत्संबंध में अभी तक नियमावली भी नही बना है। पूर्व में इस संबंध में कई सरकारों की ओर से आश्वासन भी दिया गया लेकिन अभी तक परिणाम शून्य रहा है। इस उपेक्षा के कारण क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का विकास अवरुद्ध है। अतः व्यापक जनहितार्थ राज्य गठन के उद्श्यों को फलीभूत करने हेतु क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक पढ़ाई प्रारंभ कराने तथा इन भाषाओं के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराती हूँ।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
04-	श्री बिरंची नारायण स0वि0स0 श्री डुलू महतो स0वि0स0 श्री जय प्रकाश भाई पटेल स0वि0स0	झारखण्ड सरकार "खनन नहीं पर्यटन" की विकास नीति के साथ पर्यावरण संरक्षण एवं आदिवासी विकास का मानक तैयार करने हेतु कृत संकल्पित है। अतएव उक्त आलोक में झारखण्ड के समस्त 24 जिलों में अवस्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों का जिलावार सर्वेक्षण करवाकर 1 जिला में कम से कम 2 सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल का चयन कर उक्त पर्यटन स्थल में 1 बढ़िया होटल, जहाँ रहने-खाने की उत्तम व्यवस्था हो के साथ-साथ पर्यटकों के सुरक्षार्थ 1 पुलिस पोस्ट और बेहतर कनेक्टिविटी हेतु- 1 मोबाईल टॉवर तथा- 1 मेडिकल यूनिट की स्थापना की जाय और उक्त पर्यटन स्थल से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क एवं पुल-पुलिया और स्ट्रीट लाईट की स्थिति बेहतर हो, जिससे पर्यटक उक्त पर्यटन स्थल पर बेखौफ होकर रात को रूक सकें और सुबह के सूर्योदय का आनंद लें सकें। झारखण्ड में पर्यटन की असीम संभावनाएँ हैं और प्रकृति ने झारखण्ड के सभी जिलों में अपने प्राकृतिक सौंदर्य को जल- प्रपात, वन, इत्यादि के रूप में बिखेरा है एवं अनेकों धार्मिक स्थलों और मानव निर्मित "पर्यटन स्पॉट" भी निर्मित हुए है। यदि झारखण्ड में जिलावार पर्यटन स्थलों को विकसित कर वहाँ पर सुरक्षित माहौल और सभी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाती है, तो निश्चित रूप से झारखण्ड भी एक "टूरिज्म स्टेट" का दर्जा को प्राप्त कर सकता है और इससे सरकार को राजस्व प्राप्ति के साथ-साथ झारखण्ड के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सकता है और यहाँ के स्थानीय युवक-युवतियों को भी इससे रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। अतएव व्यापक जनहित में सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग करता हूँ कि झारखण्ड के सभी 24 जिलों के अन्तर्गत 2-2 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को उक्त	पर्यटन, कला संस्कृति खेल-कूद एवं युवा कार्य

01.	02.	03.	04.
		सभी सुविधाओं के साथ विकसित किया जाय, ताकि झारखण्ड का प्राकृतिक सौंदर्य को हम बरकरार रखते हुए झारखण्ड को "टूरिज्म स्टेट" का दर्जा दिलवाते हुए यहाँ के स्थानीय युवक- युवतियों का रोजगार दे सकें।	
05-	श्री विकास कुमार मुंडा स0वि0स0	राँची जिलान्तर्गत सोनाहातु प्रखण्ड के काँची नदी में निर्माणाधीन नहर के निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती गयी है। इस संबंध में जुलाई, 2019 में एक लिखित शिकायत पर विभाग के उड़न दस्ता टीम द्वारा दिनांक- 06.03.2020 को जाँच किया गया जिसमें अनियमितता होने के बावजूद संवेदक एवं पदाधिकारियों की मिलीभगत से जाँच का प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। इसपर मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग राँची को जन प्रतिनिधि द्वारा दिनांक- 22.06.2020 को जाँच प्रतिवेदन प्राप्त नही होने तक संवेदक को भुगतान न करने हेतु पत्र समर्पित किया गया है। परन्तु मुख्य अभियंता एवं प्रमण्डलीय अभियंताओं की मिलीभगत से माह अक्टूबर-2020 में भुगतान सम्बंधी कार्रवाई की गयी। उड़नदस्ता द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर अनियमितता पायी गयी थी:- 1- नहर के Lining एवं Stop में 3 ईंच की जगह 1 ईंच की ढलाई जो प्राक्कलन के अनुसार नहीं था। 2- Bed में ढलाई मात्र 1.5 ईंच से 2 ईंच ही पाया गया। अनियमितता के बावजूद वर्त्तमान पदाधिकारियों की मिलीभगत से संवेदक को अंतिम भुगतान की कार्रवाई विभाग द्वारा ली जा रही है। इससे राज्य के राजस्व को बड़ी क्षति होने के साथ ही निकट भविष्य में घटिया निर्माण के कारण किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है।	जल संसाधन

01.	02.	03.	04.
		अतः सदन का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ कि उक्त निर्माण हेतु संवेदक के साथ किए गए एकरारनामा को रद्द करते हुए घटिया निर्माण की जाँच एवं भुगतान संबंधी कार्रवाई पर अविलम्ब रोक तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाय।	

राँची,
दिनांक- 08 मार्च, 2021 ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-03/2021-1036/वि० स०, राँची, दिनांक- 06/03/2021

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/ पर्यटन, कला संस्कृति खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग एवं जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०- प्र०ध्या०-03/2021-1036/वि० स०, राँची, दिनांक- 06/03/2021

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

06/03/2021